लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **180वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

उपस्थितिः–

01.	**डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी**	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
02.	**श्री राकेश सिंह**	अपर जिलाधिकारी (टीजी), प्रतिनिधि–जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	**श्री आर0के0 सिंह**	सहायक लेखाधिकारी, पेंशन एवं कोषागार, लखनऊ प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	**श्री अनिल कुमार मिश्र**	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
05.	**श्री पवन कुमार वर्मा**	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	**श्रीमती कंचन सुबोध**	संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
07.	**डा0 कल्याण सिंह**	उपनिदेशक–पर्यटन प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
08.	**श्री अतुल मिश्रा**	अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
09.	**श्री आदित्य सचान**	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10.	**श्री पुष्कर शुक्ला**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	**श्री पी0एन0 सिंह**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः–

12.	**श्री पवन कुमार गंगवार**	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	**श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा**	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	**श्री दीपक सिंह**	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	**श्री ए0के0 सिंह**	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	**श्री के0के0 गौतम**	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	**श्री शशिभूषण पाठक**	डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	**श्री रविनन्दन सिंह**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद सं0	विषय	निर्णय
180/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
180/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
180/3	लखनऊ महायोजना – 2031 (संशोधित कन्वर्जन) प्रारूप की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) प्रारूप के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की गत बैठक दिनांक 04.10.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन प्रदान किया गया।

180/4	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित) में प्रस्तावित संशोधन का अंगीकरण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्मित क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के प्रकरणों को शमन कराने हेतु जनसामान्य को सूचना प्रकाशन के माध्यम से सूचित करते हुए 31 मार्च, 2024 तक समय प्रदान करने तथा प्रचलित भवन उपविधि में शेष संशोधनों को यथावत् अंगीकृत करते हुए अनुमोदित किया गया।
180/5	सरकारी/सार्वजनिक/अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण/प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से विस्थापित हो रहे लोगों के सम्बन्ध में विस्थापन नीति एवं पूर्व में पीएमएवाई भवनों के आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।	सरकारी/सार्वजनिक/अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण/प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से विस्थापित हो रहे लोगों के सम्बन्ध में विस्थापन नीति एवं पूर्व में पीएमएवाई भवनों के आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त बिन्दु संख्या–05 को छोड़कर प्रस्तुत प्रस्ताव सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पीएमएवाई योजना की पात्रता के अनुसार किसी परिवार को एक बार ही लाभ अनुमन्य होगा। 27 दिसम्बर, 2023 के उपरान्त यदि किसी के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया जाता है, तो उसे यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
180/6	उ0प्र0 सरकार की इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से खसरा संख्या –78क, 157, 160, 161, 164 व 165 ग्राम–अमौसी, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ पर प्रस्तावित परियोजना के तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से मे0 प्रगति कालोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा 27.95 एकड़ क्षेत्रफल (ग्राम–अमौसी, सरोजनीनगर, लखनऊ) में प्रस्तावित तलपट मानचित्र लखनऊ महायोजना–2031 एवं प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 201/2016) के प्राविधानों के अन्तर्गत होने के दृष्टिगत शासनादेश के अनुसार प्रस्तुत तलपट मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार कोई अन्य प्रकरण वर्तमान में प्राधिकरण स्तर पर लम्बित नहीं है।
180/7	सेक्टर–एच, बसंतकुंज योजना के पूर्व नियोजित ईडब्लूएस भूखण्डों/भवनों के स्थान पर एलआईजी श्रेणी के भूखण्डों के नियोजन हेतु तलपट मानचित्र संशोधन के सम्बन्ध में।	बसंतकुंज योजना के सेक्टर–एच में पूर्व नियोजित ई0डब्लू0एस0 भूखण्डों/भवनों के स्थान पर एलआईजी श्रेणी के भूखण्डों के नियोजन हेतु तलपट मानचित्र संशोधन के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि बसंतकुंज योजना में ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के न्यूनतम आवश्यक भवनों से अधिक भवन/फ्लैट निर्मित होने के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल पर पूर्व नियोजित ई0डब्लू0एस0 भूखण्डों/भवनों के स्थान पर एल0आई0जी0 श्रेणी मानक आकार 6.00 मी X 10.00 मी0 एवं क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी0 के भूखण्ड नियोजित किया जाना प्रस्तावित है। तदक्रम में प्रस्तावित स्थल पर 30.00 मी0 चौड़े सेक्टर मार्ग के सम्मुख 10 मी0 X 25 मी0 क्षेत्रफल के 08 व्यवसायिक भूखण्डों को नियोजन करते हुए शेष भूमि पर एल0आई0जी0 श्रेणी के भूखण्डों का नियोजन करते हुए संशोधित तलपट मानचित्र तैयार किया गया है। तत्क्रम में सर्वसम्मति से बसंतकुंज योजना के सेक्टर–एच में पूर्व नियोजित ई0डब्लू0एस0 भूखण्डों/भवनों के स्थान पर एल0आई0जी0 श्रेणी के भूखण्डों के नियोजन हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

180/8	मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बावत अनार्जित खसरा सं0–36, क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सम्बन्ध में।	मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बावत अनार्जित खसरा सं0–36, क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सम्बन्ध में जैसा कि बोर्ड को अवगत कराया जा चुका है कि प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित नहीं की गई है एवं इस भूमि पर ले–आउट में पार्क नियोजित है, अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि को छोड़ते हुए, छोड़ी गई भूमि के समान क्षेत्रफल पर इसी योजना में उपलब्धता के आधार पर पार्क का नियोजन करते हुए नियमानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन की कार्यवाही की जाय। उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति का मत स्थिर हुआ कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण की भूमि में पार्क का नियोजन कर तलपट मानचित्र में प्रस्तावित संशोधन प्रकरण निस्तारण के दृष्टिगत उचित है। यदि भविष्य में प्रश्नगत वाद में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है कि तो उक्त आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। प्राधिकरण बोर्ड के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर गठित सुनवाई समिति की संस्तुति एवं तदानुसार तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के मा0 सदस्य श्री पुष्कर शुक्ला द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गयी कि मा0 न्यायालय के अन्तिम आदेश तक निर्णय न लिया जाना समीचीन होगा, परन्तु बोर्ड के शेष मा0 सदस्यगणों द्वारा इस प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु सहमति प्रदान की गयी है। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
180/9	व्योम खण्ड में आवंटित भूखण्ड के आवंटियों को बसंतकुंज योजना में समायोजित किये गये भूखण्ड में क्षेत्रफल में अन्तर होने के कारण उसे संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2019 में व्योम खण्ड के 18 आवंटियों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बसंतकुंज योजना में आवंटन किया गया, परन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण उनके क्षेत्रफलों में अन्तर होने के फलस्वरूप उसे पुनः संशोधित करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
180/10	सी0जी0 सिटी योजना, लखनऊ में नौ सेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सी0जी0 सिटी योजना, लखनऊ में नौ सेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण का मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2023 को शिलान्यास किया गया है। नौ सेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यटन विभाग के निर्देशों के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 06.11.2023 को किया गया। प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्माण स्थल के सर्वे

		मानचित्र के अनुसार प्लाट संख्या–1 की 8630.841 वर्गमी0 व प्लाट संख्या–3 की 7251.06 वर्गमी0 कुल क्षेत्रफल 15891.90 वर्गमी0 (3.92 एकड़) भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सी0जी0 सिटी योजना में नौ सेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु एच0एल0सी0 से अनुमोदन प्राप्त करते हुए तलपट मानचित्र में अंकन की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
180/11	गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर–7 में पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शौर्य स्मारक हेतु चिन्हित भूमि को सीमा सुरक्षा बल (एस0एस0बी0) के पक्ष में आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर–7 में पुलिस मुख्यालय के सामने उपलब्ध एवं चिन्हित भूमि, जिसका नजरी नक्शा अर्जन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, के अनुसार कुल क्षेत्रफल 14239.02 वर्गमी0 (3.52 एकड़) है, को पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शौर्य स्मारक हेतु भूमि आरक्षित किये जाने विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
180/12	नेहरू इन्क्लेव भूखण्ड योजना के पूर्व आवंटियों को नेहरू इन्क्लेव योजना के अन्तर्गत रिक्त फ्लैटों में नियमानुसार आवंटन हेतु आवेदन करने पर लाटरी में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नेहरू इन्क्लेव भूखण्ड योजना के पूर्व आवंटियों को नेहरू इन्क्लेव योजना के अन्तर्गत रिक्त फ्लैटों में नियमानुसार आवंटन हेतु आवेदन करने पर वरीयता प्रदान करते हुए सर्वप्रथम उनके मध्य लाटरी किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण योजनान्तर्गत जहाँ–जहाँ रेण्ट की सम्पत्तियाँ है, उनका सर्वे कराकर प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाय।
180/13	श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री शिव लाल सिंह, मेट द्वारा स्वयं लंग्स रोड (फेफड़े की बीमारी) से ग्रसित की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	अध्यक्ष महोदया की अनुमति अनुपूरक विषय	
अनु0वि0 180/01	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुमानित आय–व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुमानित आय–व्ययक की स्वीकृति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनु0वि0 180/02	एम0जी0 रोड पर क्लार्क अवध होटल से छोटा इमामबाड़ा तक मुख्य मार्ग एवं अन्य चिन्हित मार्गों से सटे हुए भवनों के फसाड कन्ट्रोल के सम्बन्ध में।	एम0जी0 रोड पर क्लार्क अवध होटल से छोटा इमामबाड़ा तक मुख्य मार्ग एवं अन्य चिन्हित मार्गों से सटे हुए भवनों के फसाड कन्ट्रोल के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3,उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या–1984/8–3099/2182/2020 दिनांक 16 जुलाई 2021 के द्वारा मुख्य मार्गो से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग के अनुरक्षण एवं मरम्मत उपविधि–2021 निर्गत किया गया था। उक्त उपविधि के अनुसार ऐसे मुख्य मार्ग जहॉ पर

		प्राधिकरण द्वारा किसी रंग योजना अथवा इसके लिए अन्य विशिष्टियों के अनुसार साम्यता सुनिश्चित करना आवश्यक समझे, ऐसा करना आवश्यक एवं अपरिहार्य समझा जायेगा। इन मार्गों पूर्णता गैर आवासीय प्रयोजनों हेतु अध्यासित भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, सफेदी अथवा पेंट कराने का कार्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रंग योजना एवं अन्य विशिष्टियों के अनुरूप अनुमन्य किया गया है। इस उपविधि में प्रस्तर–6, 8 व 10 में दी गई व्यवस्था से बोर्ड को अवगत कराया गया। उपरोक्त अधिसूचित उपविधि के प्राविधानों के क्रम में एम0जी0 रोड पर क्लार्क अवध होटल से छोटा इमामबाडा तक मुख्य मार्ग एवं अन्य चिन्हित मार्गो से सटे हुए भवनों के फसाड कन्ट्रोल के लिये मार्ग का चिन्हाकंन कर तद्नुसार कलर कोडिंग सहित फसाड कन्ट्रोल का प्रस्ताव मे0 ए0एन0बी0 कन्सलटेन्ट एवं फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर (AKTU) द्वारा बोर्ड के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण के अवलोकन के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि 15 दिवस हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित करते हुए उन पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाये।
अनु0वि0 180/03	विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत Diagnostic Center के निर्माण कार्य से क्षेत्र के लगभग 5 लाख लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा सकेगा। उक्त के निर्माण कार्य हेतु मा0 रक्षा मंत्री, भारत सरकार के विशेष कार्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है। तद्क्रम में डायग्नोस्टिक सेन्टर के निर्माण हेतु धनांक रू0 18939.38 लाख का डी0पी0आर0/आगणन प्रस्ताव तैयार कर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 की यूनिट–19 लखनऊ के द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया है। नियोजन अनुभाग में उपलब्ध तलपट मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूमि तलपट मानचित्र में पार्क हेतु नियोजित है। कथित भूमि पर डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रस्तावित किये जाने पर उक्त भूमि के समतुल्य भूमि गोमती नगर योजना में अन्यत्र पार्क का नियोजन आवश्यक होगा। उक्त भूमि का चिन्हांकन अर्जन अनुभाग द्वारा गोमती नगर योजना के विनय खण्ड–5 की अर्जित भूमि में किया गया है, जो भूखण्ड संख्या–5/158 से अमर शहीद पथ की तरफ लगभग 20 मकानों के पीछे व रेलवे लाइन के मध्य स्थित है। उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 13.10.1998 में निर्धारित प्रक्रियानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनु0वि0 180/04	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद–लखनऊ के गोमती नगर में डायग्नोस्टिक सेन्टर का निर्माण कार्य।	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद–लखनऊ के गोमती नगर में डायग्नोस्टिक सेन्टर का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत Diagnostic Center के निर्माण कार्य से क्षेत्र के लगभग 5 लाख लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा सकेगा। उक्त के निर्माण कार्य हेतु मा0 रक्षा मंत्री, भारत सरकार के विशेष कार्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है। तद्क्रम में डायग्नोस्टिक सेन्टर के निर्माण हेतु धनांक रू0 18939.38 लाख का डी0पी0आर0/आगणन प्रस्ताव तैयार कर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 की यूनिट–19 लखनऊ के द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया है। गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड स्थित मा0 उच्च न्यायालय के गेट नं0–02 के सामने ग्राम–विजयीपुर की खसरा संख्या–108 के भाग पर स्थित/उपलब्ध 0.2236 हे0 (रिक्त भूमि) पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। अतएव कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता के दृष्टिगत जनहित में उपरोक्त भूमि पर डायग्नोस्टिक सेन्टर के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

28.12.23

अनुमोदित

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक
दिनांक 27.12.2023 की उपस्थिति

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	डा0 रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ। (केशव सिंह ADM (TG))	9415005005	
3.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।		27.12.23
4.	प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।		
5	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	R.K. SINGH AAO 9415768696	
6	प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	Atul Mishra EE 8081772544	
7	श्री अनिल कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।	9452153302	
8	श्री आदित्य सचान, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	9839991444	
9	श्री पवन कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	8795810127	
10	श्रीमती कंचन सुबोध, संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
11	डा0 कल्याण सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।	9444666444	
12	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415464485	
13	श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415425438	